निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 21 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज के माह 07/2013 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारी, श्री संजीव कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24/5/2017 से 02/06/2017 तक श्री वी.एस.पवार, व. लेखापरीक्षा अ धकारी के अंशका लक पर्यवेक्षण में 29/05/2017 से 02/06/2017 तक में सम्पादित कया गया।

## भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा (नई इकाई)।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह जुलाई 2013 से अप्रैल 2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (ii) (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः अप्रस्तुत

   (iii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आ धक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2013-14 | शून्य | शून्य | 176.05 | 156.79 | - | - | शून्य | 19.26 |
| 2014-15 | शून्य | शून्य | 258.00 | 213.23 | - | - | शून्य | 44.77 |
| 2015-16 | शून्य | शून्य | 240.13 | 207.17 | - | - | शून्य | 32.96 |
| 2016-17 | शून्य | शून्य | 319.32 | 287.89 | - | - | शून्य | 31.43 |
| 2017-18 (04/2017 तक) | शून्य | शून्य | 109.88 | 25.62 | - | - | शून्य | 84.26 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय | अ धक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | बाढ़ सुरक्षा योजना | 69.74<br>589.35 | 48.74<br>71.06 | 48.74<br>24.40 | 0.25<br>- | -<br>- |
| 2014-15 | बाढ़ सुरक्षा योजना | 563.95 | 46.66 | 46.66 | - | - |
| 2015-16 | बाढ़ सुरक्षा योजना | 21.04<br>640.15 | 21.04<br>639.60 | 21.04<br>639.60 | - | - |
| 2016-17 | बाढ़ सुरक्षा योजना | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2016-17 (04/2017 तक) | बाढ़ सुरक्षा योजना | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

(iv) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई A श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव संचाई वभाग, उत्तराखण्ड

प्रमुख अ भन्ता एवं वभागाध्यक्ष, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

मुख्य अ भयन्ता, संचाई वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

अधीक्षण अ भयन्ता, संचाई कार्य मण्डल ऊधम संह नगर

अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज के माह जुलाई 2013 से अप्रैल 2017 तक कए गए लेन-देन की लेखापरीक्षा की गयी थी और अ धक व्यय वाले माह तथा अ धक व्यय वाले पूर्ण कए गए कार्यों को आच्छादित कया गया। आहरण एवं वतरण अ धकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज की लेखापरीक्षा में पाये गये

निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं मार्च 2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। नाबार्ड मद के अंतर्गत जनपद ऊधम संह नगर के सतारगंज वकास खण्ड में नानकमत्ता नहर एवं गूलों का आधुनिकीकरण एवं पुर्नोद्वार कार्य का चयन वस्तृत वश्लेषण हेतु कया गया। प्रतिचयन कार्य की पूर्णता एवं उस पर लेखापरीक्षा अव ध तक कए गए व्यय के आधार पर कया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा गठन से अब तक की अव ध में कोई भी निरीक्षण नहीं कया गया है।
3. खण्ड के भण्डार लेखों तथा यंत्र संयंत्र लेखों की अर्द्धवा र्षक / वा र्षक लेखाबन्दी सतम्बर 2016 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 4/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम ` शून्य

   भाग द् वतीय `शून्य
5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 4/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम-` शून्य

   (ख) सामग्री क्रय- ` शून्य

   (ग) नगद परिशोधन-` शून्य

   (घ) निक्षेप- ` 20343763.00

   (ङ) भण्डार- ` शून्य

## भाग-II 'ब'

प्रस्तर 1- डपाजिट कार्य निष्पादन में श थलता के कारण कार्य अपूर्ण तथा स्वीकृत कार्य की भौतिक लम्बाई में कटौती।

जनपद उधम संह नगर के सतारगंज तहसील के सडकुल औद्यो गक पार्क को बैगुल नदी की बाढ़ से सुरक्षा उद्दे शत 2100 मी. लम्बाई में सडकुल लोअर बंध निर्माण योजना का अनुमोदन उत्तराखण्ड तकनीकी सलाहकार स मति द्वारा प्रदान (जनवरी 2006) कया गया था कार्य की लागत 92.92 लाख थी जिसे डपोजिट शीर्ष के अन्तर्गत संचाई खण्ड सतारगंज द्वारा निष्पादित कया जाना था धन सडकुल देहरादून द्वारा उपलब्ध कराया जाना था। कार्य 5 करोड़ की वा र्षक क्षति को रोकने हेतु प्रस्ता वत/स्वीकृत था।

संचाई खण्ड, सतारगंज के लेखा अ भलेकों की नमूना जांच (जून 2017) में देखा गया क खण्ड ने प्रबंध निदेशक सडकुल को (जनवरी 2014) अवगत कराया क वर्ष 2008 तक 41.88 लाख के व्यय फलस्वरूप 1200 मी. लम्बाई (चैनेज 0-1200मी.) में लोअर बन्द का निर्माण पूर्ण होने के फलस्वरूप 54.43 लाख शेष था। शेष 900 मी. लम्बाई में श्रम व सामग्री दारों में वृद्ध के फसस्वरूप कार्य न होने के कारण शेष कार्य (900मी.) तथा पूर्व नि र्मत 1200 मी. लम्बाई में प्राकृतिक आपदाओं के कारण व भन्न स्थानों पर क्षति होना को अ भ ल खत करते हुए कार्य की कुल लागत 132.33 लाख आक लत की गई. इसके पश्चात खण्ड तथा सडकुल के मध्य कार्य की मात्रा/लम्बाई को कम करके मात्र476 मी. लम्बाई में निर्माण कार्य भी प्रशासनिक स्वीकृति (फरवरी 2016) सडकुल से मांगी गई, जिससे बची लागत पर कार्य करने हेतु सडकुल देहरादून से 476.80 मी. लम्बाई में कार्य पूर्ण करने की प्रशासनिक स्वीकृति मार्च 2017 में प्रदान की गई।

लेखापरीक्षा में प्रकरण को उठाये जाने पर खण्ड ने उत्तर में बताया क वर्ष 2008-09 तक कुल 41.88 लाख का व्यय उपरान्त 1200 मी. लम्बाई में तटबन्ध का निर्माण कया गया था। शेष कार्य तत्कालीन परिस्थितियों के कारण सम्पन्न नहीं हो सका।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्यों क कार्य संचाई खण्ड में डपोजिट शीर्ष के अन्तर्गत निष्पादित कया जाना था जिस हेतु Client वभाग सडकुल से खण्ड को 92.92 लाख

प्राक्कलन के सापेक्ष पूर्ण धनरा श प्राप्त हुई थी अतः कार्य निष्पादन में श थलता के कारण जहां कार्य, स्वीकृति के लगभग 11 वर्षों बाद भी अपूर्ण था और लाभार्थी योजना लाभ से वं चत थे, स्वीकृत कार्य के सापेक्ष लगभग 20 प्रतिशत काम लम्बाई में कार्य निष्पादन की वर्तमान से स्वीकृति प्रदान कर कार्य पूर्ण होना अपे क्षत था। अत कार्य की भौतिक मात्रा में कटौती भी (कार्य की स्वीकृत लागत से ही पूर्ण करने के उद्देश्य से) अनु चत थी।

प्रकरण वभागीय अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

# STAN

प्रस्तर 1- बिना भू म उपलब्धता सुनिश्चित कये कार्य स्थल ववाद के कारण कार्य निष्पादन में वलम्ब।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जनपद ऊधम संह नगर के सतारगंज वकास खण्ड के ग्राम मलपुरी एवं मैनाझुन्डी मे अप्सरा नाले की खुदाई/ड सल्टिग का कार्य हेतु दैवीय आपदा मद के अन्तर्गत रूपये 19.91 लाख के आहरण की अनुमति कोषागार नियम-24 के अन्तर्गत 23 अक्टूबर 2013 को प्रदान की गयी। जिसके प्राक्कलन लागत की स्वीकृति अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु नवम्बर 2013 को प्रदान कर दी गयी। कार्य सम्पादन हेतु खण्ड द्वारा वर्ष 2013-14 में अनुबंध 26/AE-1/2013-14 एवं 27/AE-1/2013-14 तथा वर्ष 2015-16 में अनुबंध 220/AE-1/2015-16 एवं 280/AE-1/2015-16 (कुल 10.96 लाख) कए गये।

संचाई खण्ड, सतारगंज के अ भलेखों की जांच में पाया गया क अप्सरा नाले की खुदाई/ड सल्टिग के कार्य क स्वीकृति के 3 तीन वर्ष बाद भी कार्य अपूर्ण था, जो क ग्रामवा सयों को जलभराव से राहत देने एवं उनकी फसलों क क्षति को कम करने हेतु शीघ्र कया जाना था।

उक्त क ओर इं गत कए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क अप्सरा नाले में सतारगंज शहर एवं आस-पास के गावों का पानी बहता हुआ चीनी मल के पास ऊपर बैगुल फीडर में गरता है। परन्तु आस-पास के ग्रामीणो द्वारा आपसी रंजिश के कारण कार्य बन्द करा दिया गया। बाद में ग्राम वा सयों ने एक दूसरे पर मुकदमा पर दिया एवं प्रशासन द्वारा प्रयास करने पर कार्य पूर्ण करने के लए ग्रामवा सयों को राजी कर लया गया। वर्षाकाल से पूर्व शीघ्र ही कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। कार्य पर अभी तक 13.10 लाख का व्यय कया जा चुका है।

खण्ड का उत्तरतर्कसंगत नहीं था क्यों क कार्य पर ववाद को सुलझाने का प्रयास तथा भू म की उपलब्धता भी पूर्व में सुनिश्चित की जानी थी, जो खण्ड द्वारा नहीं कया गया।

अतः प्रकरण उच्च धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| शून्य | | |

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | खण्ड द्वारा बताया गया क खण्ड के गठन के बाद से लेन-देनों की लेखापरीक्षा प्रथम बार की जा रही है। अतः खण्ड में अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या शून्य है। | | | |

## भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम | |
|---|---|---|---|
| (i) | श्री एम.एल. डुडेजा | अ धशासी अ भयंता | 01.04.2013 से 31.12.2013 |
| (ii) | श्री संजय राज | अ धशासी अ भयंता | 01.01.2014 से वर्तमान तक। |

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री पंकज चंदेल 1/4/2013 से 31/12/2013 तक
2. श्री धमेन्द्र कुमार पासवान 01/01/2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, सतारगंज को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकारआ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखंड,इन्दिरा नगर ,देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II